

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 94]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 मार्च 2019—फाल्गुन 10, शक 1940

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2019

क्र. आर-266-सीसी-2018-अड़तीस.—मध्यप्रदेश राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018 (क्र. 31 सन् 2018) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा.

No. R-266-CC-2018-XXXVIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Madhya Pradesh National Law Institute University Act, 2018 (No. 31 of 2018), the State Government, hereby, appoints the date of publication of this notification in the official Gazette as the date on which the said Act shall come into force.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री मिश्रा, अपर सचिव.